ई0 गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 20.4.2004 से 31.3.2015

1. प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः TPT-F(1)-3/2000-E-Governance दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत, ई0गवर्नेंस सोयाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की अवधि 20.4.2004 से 31.3.2015 की उपभोक्ता प्रभार निधियों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, इस विभाग के श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी और श्री रविन्दर सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.5.2015 से 3.6.2015 के दौरान रिकांगपिओ में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया है।

Sr. No.	Year	Income	Expenditure
1	2004-2005	4/2004	8/2004
2	2005-2006	Nil	4/2005
3	2006-2007	3/2007	10/2006
4	2007-2008	4/2007	7/2007
5	2008-2009	12/2008	3/2009
6	2009-2010	4/2009	3/2010
7	2010-2011	8/2010	11/2010
8	2011-2012	9/2011	1/2012
9	2012-2013	5/2012	3/2013
10	2013-2014	6/2013	2/2014
11	2014-2015	6/2014	3/2015

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी ई0गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ जिला किन्नौर, के अध्यक्ष व सचिव के पदों पर कार्यरत रहे :

अध्यक्ष		सचिव	
Sh. Manish Garg. IAS	19-4-2002 to 14-9-2004	Sh. K.K. Sorach, HAS	11-10-2003 to 16-11-2004
Sh. Aman Deep Garg, IAS	15-9-2004 to 16-1-2006	Sh. Sumit Khimta, HAS	17-11-2004 to 19-9-2005
Sh. B.R. Verma, IAS	17-10-2006 to 14-6-2007	Sh. Raman Sharma, HAS	19-9-2005 to 19-4-2006
Miss Sudha Devi, IAS	15-6-2007 to 18-3-2008	Sh. R.R. Verma, HAS	20-5-2006 to 19-3-2007

Sh. P.S. Draik, IAS	19-3-2008 to 27-2-2009	Sh. Sukh Dev Singh, HAS	17-3-2007 to 11-6-2007
Smt. Priyanka Basu, IAS	27-2-2009 to 30-1-2010	Sh. L.R. Negi, HAS	12-6-2007 to 1-11-2007
Smt. Mamta, IAS	1-10-2010 to 24-10-2010	Dr. M.L. Matha, HAS	2-11-2007 to 1-4-2008
Dr. Sunil Chaudhary, IAS	25-10-2010 to 5-5-2012	Sh. L.R. Negi, HAS	1-4-2008 to 5-3-2009
Sh. Rajiv Shankar, IAS	7-5-2012 to 14-1-2013	Sh. Harbans Negi, HAS	6-3-2009 to 13-10-2009
Sh. J. M. Pathania, IAS	14-1-2013 to 26-2-2014	Sh. Rajeev Kumar, HAS	14-10-2009 to 16-5-2011
Sh. D.D. Sharma, IAS	1-3-2014 to 28-2-2015	Sh. Naresh Thakur, HAS	17-5-2011 to 16-11-2011
Dr. N.K. Lath, IAS	2-3-2015 to Continue	Sh. D.K. Manta, HAS	17-11-2011 to 31-1-2013
		Sh. K.R.Saizel, HAS	12-2-2013 to 26-5-2013
		Dr. Maj Vishal Sharma, HAS	27-5-2013 to 19-8-2014
		Sh. Narendera Kumar, HAS	20-8-2014 to 30-11-2014
		Sh. Pankaj Sharma, HAS	1-12-2014 to Continue

(ग) गम्भीर अनियमिताओं का सार

क्र0 सं0	पैरा संख्या	संक्षिप्त विवरण	राशि लाखों में
1	4(ख)	ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ, जिला किन्नौर द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि को अन्तशेष में व्यय के रूप में दर्शाकर रोकड़ बही से कम किए जाने बारे	15.00
2	5	विशेष उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्राप्त राशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग न किया जाना।	10.00
3	6	ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की निधि से जिला नाजिर को दिए गए ऋण की वसूली न करने बारे।	2.58
4	7	हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के विरूद्ध विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल फोन के बिलों के रूप में अनियमित भुगतान करने बारे।	0.79
5	11	ई–गवर्नेंस निधि से NIELIT (Formerly DOEACC) के IT Facilator श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 15.9.2013 के वेतन का अनियमित भुगतान करने बारे	1.26
6	12	ई–गवर्नेंस निधि से व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाऊचर तथा व्यय वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे।	4.10

7	14	ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा निधि से अनाधिकृत गतिविधियों पर व्यय करने बारे	1.49
8	15	निविदायें आमंत्रित किए बिना खरीद खुले बाजार से करके भुगतान करना	2.52
9	16	विभिन्न मदों की खरीद करने के उपरान्त इनकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किए बिना ही उपयोग किए जाने बारे	2.67

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई0–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ के अवधि 4/2004 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹20,000 आंका गया हैं। अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 35/2015, दिनांक 3.6.2015 जारी करके उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति, जोकि संस्था की रोकड़ बही में आय व व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई है, का विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर संलग्न है। वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की रोकड़ बही में जिला किन्नौर की विभिन्न RLAs से प्राप्त आय के अतिरिक्त जिले के विभिन्न तहसीलदारों से विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त आय का भी लेखांकन किया गया है। इसी प्रकार रोकड़ बही में परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित व्ययों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित व्ययों का भी लेखांकन किया गया था। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई है अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क से सम्बन्धित आय तथा उसमें से किए गए

व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके, परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सचिव, ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि :–

1. E-Governance Society (Centeral Unit) रिकांगपिओ द्वारा अपना कार्य दिनांक 20.4.2004 से आरम्भ किया है।
2. ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की रोकड़ बही दिनांक 20.4.2004 से आरम्भ की गई, जिसमें किन्नौर जिला की सभी RLAs, सभी तहसील कार्यालयों से प्राप्त ई–गवर्नेंस से सम्बन्धित आय और व्यय का लेखांकन किया गया है।
3. ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की आय में परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के अतिरिक्त ई–प्रमाण, Gun License, Inner Line Permit और किन्नौर जिला के सभी तहसील कार्यालयों में ई–गवर्नेंस की गतिविधियों इत्यादि से एकत्रित सेवा शुल्क शामिल है।
4. ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा एकत्रित आय को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित), रिकांगपिओ के खाता संख्याः 25710114218 में जमा किया गया था।
5. अवधि 20.4.2004 से 31.3.2015 के दौरान ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ से सम्बन्धित स्टॉक एवं स्टोर का कोई भौतिक सत्यापन (Pyhsical Verification) नहीं किया गया है।

(ग) विभिन्न RLAs द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशियों तथा केन्द्रीय ईकाई द्वारा विभिन्न RLAs को भेजी गई राशियों का RLAs अभिलेखों के साथ समय–समय पर मिलान न किया जाना

सचिव, ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की रोकड़ बही में जिला किन्नौर की विभिन्न RLAs से प्राप्त आय के अतिरिक्त जिले के सभी तहसीलदारों से भी प्राप्त ई–गवर्नेंस गतिविधियों से सम्बन्धित आय का लेखांकन किया गया था। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा भी सयम–समय पर ई–गवर्नेंस गतिविधियों हेतु इन सभी ईकाईयों को राशियाँ भेजी गई थी। जाँच करने पर पाया गया कि प्राप्त राशियाँ और भेजी गई राशियों को समय–समय पर ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) स्तर पर और RLAs और तहसीलदारों द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर मिलान नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि इन सभी राशियों का समय–समय पर मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 निवेश

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक निवेश सावधि योजना में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट–''ख''** पर संलग्न है।

(ख) ई–गर्वनेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत किए गए निवेश की ₹15,00,000/– को व्यय के रूप में दर्शाकर रोकड़ बही से कम किए जाने बारे

लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार सावधि योजना में निवेशित राशि को रोकड़ बही के अन्तिम शेष में दर्शाया जाता है तथा सावधि योजना से अर्जित ब्याज की राशि को भी रोकड़ बही में आय पक्ष में दर्शाया जाता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा दिनांक 20.2.2013 को ₹15,00,000/–सावधि जमा योजना के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की रिकांगपिओ शाखा में निवेशित की गई थी। सोसाईटी द्वारा इस राशि को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्याः 31 पर व्यय के रूप में दर्शा कर कम किया गया था। तत्पश्चात् उक्त निवेशित की गई राशि को परिपक्वता पर ब्याज सहित ₹16,39,625/–का पुनः निवेश किया गया दर्शाया गया है। इस प्रकार निवेशित राशि को रोकड़ बही से व्यय के रूप में दर्शाकर कम किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि को रोकड़ बही में व्यय के रूप में दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तशेष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 विशेष उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्राप्त ₹10,00,000/– का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग न किया जाना

विभिन्न कार्य दिवसों को रोकड़ बही में लेखांकित की गई विभिन्न प्रकार की आय के अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही में विभिन्न कार्य दिवसों को निम्नविवरणानुसार ₹10,00,000/– आई0टी0 विभाग हिमाचल प्रदेश से जिला किन्नौर में रिकांगपिओ में पॉप सैंटर/सुगम सैंटर बनाने हेतु प्राप्त की गई दर्शाई गई थी, परन्तु यह राशि दिनांक 31.3.2015 तक पॉप सैंटर/सुगम सेंटर बनाने हेतु प्रयोग/उपयोग नहीं की गई थी। अतः इस राशि को दिनांक 31.3.2015 तक निर्धारित उद्देश्य हेतु प्रयोग/उपयोग न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त अब इस राशि को आई0टी0 विभाग हिमाचल प्रदेश की अनुमति से निर्धारित उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Letter No.	Name of Department from whom the amount was received	Received Amount	Date of Receipt/ Cash Book Page No.	Purpose of Grant
DIT-F(2)11/08-Loose-5177, Dt. 21-11-2008	Director, IT Govt. of HP.	5,00,000	20-4-2004/1	For Construction of POP/Sugam Centre at Reckongpeo
DIT(SWAN) SITEG-33/13-105, Dt. 26-6-2013	Director, IT Govt. of HP.	5,00,000	20-6-2013/42	For Construction of POP/Sugam Centre at Reckongpeo

6 ई–गवर्नेंस सोयायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की निधि से जिला नाजिर को दिए ऋण की ₹2,58,380/– की वसूली न करने बारे

ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि जिला नाजिर, किन्नौर को विभिन्न कार्य दिवसों पर विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु ऋण के रूप में ₹14,31,124/– प्रदान की गई थी। इस राशि में से जिला नाजिर किन्नौर से दिनांक 31.3.2015 तक ₹11,72,744/– वापिस प्राप्त की गई थी तथा शेष ₹2,58,380/–जिला नाजिर, किन्नौर से लेनी बाकी थी। इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि सोसायटी द्वारा ऋण के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर नहीं बनाया गया था, जिसकी अनुपस्थिति में यह ज्ञात नहीं होता कि वर्ष के दौरान किस–किस अधिकारी को किस–किस उद्देश्य हेतु कितना–कितना ऋण दिया गया था तथा कितनी अवधि के बाद ऋण को वापिस प्राप्त किया गया था। अतः उक्त ₹2,58,380 को दिनांक 31.3.2015 तक वापिस प्राप्त न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त राशि को प्राप्त करने के अतिरिक्त ऋण के लेखांकन हेतु रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए और इस रजिस्टर में ऋण देने की तिथि और उसकी वापसी की तिथि तथा राशि इत्यादि का पूर्ण विवरण लेखांकित करना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण के दौरान सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.2015 तक दिए गए ऋण की राशि का विवरण

Detail of Loan Given			Detail of Loan Amount Received Back		
Date of Loan Given	Cash Book Page No.	Amount of Loan Given	Date of Return	Cash Book Page No.	Amount of Loan Received Back
15-3-2010	131	1,30,053	6-8-2010	146	1,30,053
18-11-2010	155	2,00,000	13-9-2011	187	2,00,000
23-12-2011	204	1,42,426	23-5-2012	7	1,42,426

27-11-2013	60	1,90,000	29-1-2014	67	1,90,000
22-1-2014	67	1,62,755			
4-2-2014	68	6,05,890	27-6-2014	84	5,10,265
Total		**14,31,124**			**11,72,744**
	दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष ऋण की राशि				**2,58,380**

7 हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के विरूद्ध विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को ₹79,400/– का मोबाईल फोन के बिल के रूप में अनियमित भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः Fin-I-(C)-14-1/92, dated 25-8-2010 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों को मोबाईल फोन के बिल के भुगतान बारे आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इस अधिसूचना द्वारा उन सभी अधिकारियों को देय राशि का भी पूर्ण ब्यौरा भी दिया गया है जिन्हें मासिक आधार पर मोबाईल फोन के बिल का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस अधिसूचना में किसी भी अधिकारी को दोहरे मोबाईल बिल के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अंकेक्षण में विभिन्न व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न मासों के दौरान अधिकारियों को ₹79,400/–का भुगतान मोबाईल फोन के बिल के रूप में किया गया था, जोकि इस अधिसूचना में अधिसूचित अधिकारियों से भिन्न थे तथा इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इसके यह अधिकारी सरकार से आदेशों के अन्तगर्त कितना–कितना और मोबाईल भत्ते का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 29/2015, दिनांक 26.5.2015 के अन्तर्गत सचिव, ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ से उन निर्देशों/आदेशों के बारे में माँग की गई थी, जिनके अन्तर्गत इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल बिल का भुगतान ई–गवर्नेंस सोसाईटी निधि से किया जा रहा था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को किए गए मोबाईल बिल के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, ई–गवर्नेंस सोसाईटी किन्नौर द्वारा अपने स्तर पर जाँच करने के उपरान्त इस तथ्य को भी सुनिश्चित किया जाए कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी की निधि से मोबाईल बिल का भुगतान पाने वाले समस्त अधिकारी योग्य पदाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं तथा ई–गवर्नेंस सोसायटी किन्नौर के किसी भी पदाधिकारी को दोहरे मोबाईल बिल का भुगतान न किया गया हो, इस बारे में प्रमाण लिया जाए कि वह मोबाईल बिल का भुगतान पहले से किसी और निधि/फण्ड अथवा सरकारी

कोष इत्यादि से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण के दौरान सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	**Designation of Officer/Official**	**Period for which Mobile Bill has been Paid**	**Total Amount paid for the period**
1	Superintendent Grade-I	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
2	District Nazar	March, 2015	500
3	Assistant District Nazar	March, 2015	500
4	E-Governance Dealing Assistant	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	8,800
5	Tehisildar Pooh	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
6	Tehsildar Nichar	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
7	Tehsildar Kalpa	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
8	Tehsildar Sangla	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
9	Tehsildar Morang	May, 2013 to till date (Total 22 Months)	11,000
10	PA to Deputy Commissioner Kinnaur	December, 2013 to till date Total 9 months)	3,600
		Total	**₹79,400**

8 M/S HCL Info System Ltd Pondicherry को ₹10,400 का अधिक भुगतान करना
रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः–1, दिनांक 2.8.2004 ₹97,080
रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः–2, दिनांक 7.2.2005 ₹97,080

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा M/S HCL Info System Ltd. Pondicherry को ₹1,94,160 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्याः 0917800, दिनांक 2.8.2004 द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 470012, दिनांक 2.2.2005 के अन्तर्गत किया गया था। इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश संख्याः KNR-E-GOVT/2004-4571, dated 3-8-2004 के अन्तर्गत निम्न सामान की आपूर्ति करने के लिए आदेश दिया गया था।

Sr. No.	Name of Item	Price of Item
1	HCL Infiniti Global Line 2700	97,000
2	Desk Top Infiniti 1090	67,260
3	CD Writer	7,000
4	Digital Signature Pad	5,800
5	HP Laser Jet 1015	12,500
6	Web Camera	4,600
	Total	**₹1,94,160**

परन्तु उक्त फर्म द्वारा निम्न विवरणानुसार बिल संख्याः 90225723, दिनांक 30.9.2004 के अन्तर्गत ₹19,500 और बिल संख्याः 0000024603, दिनांक 30.9.2004 की ₹1,64,260 के सामान की आपूर्ति की गई थी और प्राप्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि निर्धारित स्टॉक रजिस्टर में की गई थी।

बिल संख्या 90225723, दिनांक 30.9.2004,		**₹19,500**
Sr. No.	**Name of Item**	**Price of Item**
1	HP Laser Jet 1015	12,254
2	AO Pen USB	6,862
	Taxes	384
	Total	**₹19,500**
बिल संख्याः 0000024603, दिनांक 30.9.2004,		₹1,64,260
Sr. No.	**Name of Item**	**Price of Item**
1	HCL Infiniti Global Line 2700	97,000
2	Desk Top Infiniiti 1090	67,260
	Taxes	26
	Total	**₹1,64,286**
Total of Bill No. 90225723, dated 30-9-2004 & 0000024603, dated 30-9-2004		**₹1,83,786**

इस प्रकार बिल संख्याः 90225723, दिनांक 30.9.2004 तथा बिल संख्याः 0000024603, दिनांक 30.9.2004 के अन्तर्गत केवल ₹1,83,,786 के सामान की आपूर्ति की गई थी, जबकि उक्त फर्म को ₹1,94,160 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त फर्म को Digital signature pad और Web camera हेतु ₹1,94,160–₹1,83,786=₹10,374 जमा टैक्स अर्थात कुल ₹10,400 का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि यह सामान आपूर्ति आदेश में तो वर्णित था परन्तु फर्म के बिलों में Digital signature pad और Web camera का कोई वर्णन नहीं था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि आज दिन तक कभी भी फर्म द्वारा Digital signature pad और

Web camera की सप्लाई नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 31/2015 दिनांक 27.5.2015 से इस अधिक भुगतान बारे में आवश्यक जानकारी माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः फर्म को किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की ₹10,400 की वसूली सम्बन्धित फर्म से शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 M/S HCL Ltd Parwanoo को ₹8,200 का अधिक भुगतान करना
रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः 8, दिनांक 3.10.2006 ₹1,62,484

ई–गवर्नैंस सोसायटी द्वारा MD State Electronic Corporation Shimla के माध्यम से M/S HCL Ltd. Parwanoo को आपूर्ति आदेश संख्याः KNR-6-117/Dev-04-8376, dated 3-10-2006 के अन्तर्गत सामान की आपूर्ति करने के लिए ₹1,62,484 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्याः 0917801, दिनांक 2.8.2005 के अन्तर्गत किया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा बिल संख्याः 1136000111, दिनांक 14.10.2006 के अन्तर्गत ₹1,62,484/– के निम्न सामान की आपूर्ति की गई दर्शाई गई थी और प्राप्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि भी निर्धारित स्टॉक रजिस्टर मे की गई थी।

बिल संख्याः 1136000111, दिनांक 14.10.2006 ₹1,62,484

Sr. No.	Name of Item	Price of Item
1	HP Laser Jet Printer 1No.	8,200
2	Toshiba Digital Copier 3 No. @ 44450	1,33,350
3	2 KVA Stablizer 3 No. @ 5000	15,000
	VAT @ 4%	5,934
	Total	**₹1,62,484**

परन्तु उक्त बिल के साथ संलग्न Delivery Challan संख्याः 2836000103, दिनांक 14.10.2006 की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा केवल निम्न सामान की ही Delivery की गई थी।

Toshiba Digital Copier 3 No. @ 44450	1,33,350
2 KVA Stablizer 3 No. @ 5000	15,000
VAT @ 4%	5,934
Total	**₹1,54,284**

इस प्रकार उपरोक्त फर्म को HP Laser Jet Printer 1 No. हेतु (₹1,62,484 – ₹1,54,284 = ₹8,200) का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि यह सामान आपूर्ति आदेश और फर्म के बिल में तो वर्णित था, परन्तु यह सामान Delivery Challan में वर्णित नहीं था। इसके अतिरिक्त उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि आज दिन तक कभी भी फर्म द्वारा HP Laser Jet Printer की सप्लाई नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 32/2015, दिनांक 27.5.2015 से इस अधिक भुगतान बारे में आवश्यक जानकारी माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः फर्म को किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की गई ₹8,200 की वसूली सम्बन्धित फर्म से शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

10 उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव, आर0एल0ए0 भावानगर को किए गए ₹20,000 के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किए जाने बारे

रोकड़ बही में लेखांकित विभिन्न व्ययों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ई–गवर्नैंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्याः 49 पर दिनांक 26.8.2008 को ₹20,000 का भुगतान उपमण्डलाधिकारी(ना0)–एवं–सचिव आर0एल0ए0 भावानगर को ई–गवर्नैंस भावानगर में Steel Railing लगवाने इत्यादि हेतु दर्शाया गया था। इस भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक इस राशि को निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव आर0एल0ए भावा नगर से प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण इस तथ्य की जाँच नहीं की जा सकी कि क्या उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव, आर0एल0ए0 भावानगर को भेजी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया गया था अथवा नहीं? अतः उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव, आर0एल0ए0 भावानगर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अब उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव, आर0एल0ए0 भावानगर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव भी दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के सभी भुगतानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किए जानें सुनिश्चित किए जाएं।

11 ई–गवर्नैंस निधि से NIELIT (Formerly DOEACC) के IT Facilator श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 15.9.2013 के वेतन की ₹1,26,000 का अनियमित भुगतान करने बारे

वेतन भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न व्यय वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि श्री विद्या पाल IT Facilator को NIELIT (Formerly DOEACC) Shimla द्वारा Deputy Commissioner Office Kinnaur के रिकांगपिओ कार्यालय में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार उनके वेतन का भुगतान भी NIELIT (Formely DOEACC) Shimla द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था, परन्तु NIELIT (Formely DOEACC) Shimla द्वारा श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 12/2012 के दौरान प्रति माह ₹12,000 की दर से वेतन का भुगतान नहीं किया गया था तथा इस बारे में श्री विद्या पाल ने Chairman, E-Governance Society Kinnaur को अपने वेतन बारे निवेदन किया था। इस निवेदन के दृष्टिगत Chairman, E-Governance Society Kinnaur द्वारा उन्हें E-Governance Society Kinnaur की निधि से अवधि 10/2012 से 12/2012 के लिए वेतन देने तथा इस राशि को NIELIT (Formerly DOEACC) Shimla से Recouped/Reimbursed करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.9.2013 को कार्यालय आदेश संख्याः KNR-1-3(E-Gov.)/-1026804, dated 16-9-2013 द्वारा Chairman, E-Governance Society Kinnaur द्वारा श्री विद्या पाल के वेतन का भुगतान आगामी आदेशों तक E-Governance Society Kinnaur की आय से करने के आदेश दिए। इस प्रकार श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 15.9.2013 तक निम्न विवरणानुसार ₹1,26,000 वेतन का भुगतान किया गया था जबकि यह राशि NIELIT (Formely DOEACC) Shimla द्वारा भुगतान की जानी थी क्योंकि श्री विद्या पाल NIELIT (Formely DOEACC) Shimla के कर्मचारी थे। यदि इस राशि का भुगतान E-Governance Society Kinnaur की आय से किया भी गया था तो भी Chairman, E-Governance Society Kinnaur के आदेश के अनुसार यह राशि NIELIT (Formerly DOEACC) Shimla से Recouped/Reimbursed की जानी चाहिए थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 33/2015 दिनांक 27.5.2015 से इस भुगतान के बारे में आवश्यक जानकारी माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ई–गवर्नैंस सोसाईटी(केन्द्रीय ईकाई) निधि से श्री विद्या पाल को किए गए वेतन के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इसकी वसूली NIELIT (Formerly DOEACC) Shimla से करके अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 15.9.2013 तक ई–गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) निधि से किए गए वेतन भुगतान का विवरण

Month	Date of payment	Cash Book Page No.	Amount Paid
Oct. 2012 to Dec.2012	22-1-2013	29	36,000
Jan. 2013	8-2-2013	30	12,000
Feb. 2013	4-3-2013	32	12,000
March 2013	5-4-2013	35	12,000
April 2013	3-5-2013	38	12,000
May 2013	6-6-2013	41	12,000
June 2013	8-7-2013	43	12,000
August 2013	12-9-2013	53	12,000
1-9-2013 to 15-9-2013	31-10-2013	55	6,000
	Total		**₹1,26,000**

12 ई–गवर्नेंस निधि से व्यय की गई ₹4,10,535 से सम्बन्धित बिल/वाऊचर तथा व्यय वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे

ई–गवर्नेंस निधि से निम्न विवरणानुसार व्यय की गई ₹4,10,535 से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों को अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इन सभी व्यय वाऊचरों को अकेक्षण में आवश्यक जाँच पड़ताल हेतु प्रस्तुत करवाए जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 30/2015, दिनांक 27.5.2015 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक यह सभी वाऊचर अंकेक्षण को जाँच पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन सभी व्यय वाऊचरों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Particulars	Date/Cash Book Page No	Amount of Bill	Remarks
Amount paid to MD HP State Electronics Development Corporation Shimla	31-3-2009/99	1,41,735	Only Receipt in Record. Purpose of Payment not mentioned in Cash Book
Amount paid to MD HP Civil Supply Corporation Ltd. Shimla for purchase of 6 Nos Kero Heater for Tehsil Office Nichar, Sangla, Kalpa, Murang, Pooh & Hungrang	9-3-2010/130	76,750	No Entry in Stock Register
Amount paid to MD HP State Electronics Corporation Shimla	11-1-2012/200	1,92,050	Only Receipt in record, Purpose of payment not mentioned in Cash Book
	Total	**₹4,10,535**	

13 सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त की गई श्री बलवान सिंह IT Facilator के वेतन की ₹40,000 को रोकड बही में अनियमित रूप से आय एवं व्यय के रूप में लेखांकित किए जाने बारे

श्री बलवान सिंह, IT Facilator की नियुक्ति सूचना एवं प्राद्योगिकी शिमला द्वारा ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ हेतु की गई थी। नियमानुसार सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा ही उनके मासिक वेतन का भुगतान किया जाना था। ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की रोकड़ बही में लेखांकित विभिन्न आय व्ययों के अंकेक्षण में पाया गया कि सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की गई श्री बलवान सिंह, IT Facilator के मासिक वेतन को रोकड़ बही के आय के रूप में दर्शाकर लेखांकित किया गया था और जब–जब श्री बलवान सिंह को मासिक वेतन का भुगतान किया गया था तब–तब उनके मासिक वेतन की राशि को व्यय के रूप में दर्शा कर रोकड़ बही से कम किया गया था। इस प्रकार निम्नविवरणानुसार कुल ₹40,000 जोकि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की आय और व्यय से सम्बन्धित नहीं थी, को अनियमित रूप से ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की आय व्यय दर्शा कर रोकड़ बही में लेखांकित किए गया था। अतः श्री बलवान सिंह IT Facilator के वेतन की राशि को ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपीओ की आय और व्यय के रूप में रोकड़ बही में लेखांकन करने को न्यायोचित ठहाराया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की रोकड़ बही में केवल ई–गवर्नेंस गतिविधियों से सम्बन्धित आय–व्यय का ही लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Particular	Detail of Income recorded in Cash Book			Detail of Payment recorded in Cash Book		
	Cash Book Page No	Date of Receipt	Amount Received from IT Deptt. HP Shimla	Date of Payment	Cash Book Page No	Amount
Salary of Sh. Balwan Singh for the month of 9/2008	70	14-4-2008	8000	14-11-2008	70	8000
Salary of Sh. Balwan Singh for the month of 7/2008 & 8/2008	73	22-4-2008	16000	25-11-2008	74	16000
Salary of Sh. Balwan Singh for the month of	75	27-4-2008	8000	1-12-2008	76	8000

10/2008						
Salary of Sh. Balwan Singh for the month of 11/2008	81	16-12-2008	8000	16-12-2008	81	8000
		Total	**40000**			**40000**

14 ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा निधि से अनाधिकृत गतिविधियों पर ₹1,49,132 का व्यय करने बारे

ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की रोकड़ बही में लेखांकित आय में से निम्नविवरणानुसार कुछ ऐसी मदों पर व्यय किया गया था, जोकि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की अधिकृत गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं थी। अतः इन व्ययों को ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की आय से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए तथा भविष्य में इस तरह के व्यय को ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की आय से वहन करने से परिहार किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

जिसे भुगतान किया गया	भुगतान का उद्देश्य / विवरण	वाऊचर संख्या / दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि
Tehsildar Kalpa	For payment of Electicity Bill of Tehsil Office. Bill NO. EC-3, Dt. 24-8-2011	Nil, 27-8-2011	184	9046
BDO Kalpa	For Seminar on LOK Mitra Kendra	Nil, 17-11-2011	195	10000
BDO Nichar	For Seminar on LOK Mitra Kendra	Nil, 17-11-2011	195	5000
ADM Pooh	For Purchase of Almirah & Cash Chest for Office	Nil, 4-4-2012	01	40000
Tehsildar Pooh	For purchase of Floor Mat for Office	Nil, 4-4-2012	01	4518
SDM Bhaba Nagar	For Purchase of Almirah & Cash Chest for Office	Nil, 2-5-2012	05	50000
M/s Jiwan Electrical Store Reckong Peo, Bill No. 127, dt. 22-6-2010	For Computer Wiring in Deputy Commissioner Office Reckong Peo.	Nil	147	25568
			Total	**₹1,49,132**

15 निविदायें आमंत्रित किए बिना ₹2,52,132/– की खरीद खुले बाजार से करके भुगतान करना

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा निम्नलिखित सामान को खरीदने से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी, जिससे इस व्यय के सम्बन्ध में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः यह खरीद करने से पूर्व खुले बाजार से निविदायें आमंत्रित न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में खुले बाजार से निविदाऐं आमन्त्रित करके ही खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए।

जिसे भुगतान किया गया	वाऊचर संख्याः/ दिनांक	राशि
M/S Innovative Technology Computer Solution Ahemdabad, for purchase of Window SBS Server 2003 Bill No. 212, Dt. 11-8-2004	Nil, 2-8-2004	49,900
M/s Public Office Reckong Peo for Purchase of Stationery Articles, Bill No. 1664, Dt. 28-2-2007	Nil, 27-7-2007	3,381
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Cartage & computer Stationery items, Bill No. 0021, Dt. 25-7-2007	Nil, 27-7-2007	45,994
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Cartage & computer Stationery items, Bill No. 6040, Dt. 10-4-2008	Nil, 24-4-2008	7,108
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Cartage & computer Stationery items, Bill No. 0053, Dt. 28-4-2008	Nil, 24-4-2008	27,885
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Cartage & computer Stationery items, Bill No. 5011, Dt. 8-6-2007	Nil, 13-6-2007	26,505
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Printer Tehsil Office, Bill No. 0023, Dt. 3-8-2007	Nil, 4-8-2007	34,995
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of computer Stationery items, Bill No. 0014, Dt. 26-6-2007	Nil, 27-6-2007	20,400
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Printer, Web Camera & Computer Stationery items, Bill No. 0082, Dt. 10-9-2007	Nil, 15-9-2007	29,039
M/S Krishana Communication, Reckong Peo for purchase of Cartage & computer Stationery items, Bill No. 0035, Dt. 10-9-2007	Nil, 15-9-2007	6,925
	Total	**₹2,52,132**

16 विभिन्न मदों की ₹2,66,981 की खरीद करने के उपरान्त इनकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किए बिना ही उपयोग किए जाने बारे

E-Governance Society (केंन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा निम्न विवरणानुसार अपने उपयोग हेतु समय–समय पर विभिन्न मदों का क्रय किया गया था। इन व्यय बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि इन मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना सीधे ही उपयोग किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि इन खरीद बिलों पर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर का कोई विवरण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त ही इन मदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार खरीदी गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करके सीधे ही उपयोग करने से इन मदों के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई विभिन्न प्रकार की समस्त मदों की मदवार प्रविष्टियाँ नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में की जाएं तथा समय–समय पर उपयोगिता के अनुसार ही सम्बन्धित कर्मचारी को जारी की मदों से सम्बन्धित उनसे पावती के एवज़ में हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

जिसे भुगतान किया गया	वाऊचर संख्याः / दिनांक	राशि
M/S Innovative Technology Computer Solution Ahemdabad, for purchase of Window SBS Server 2003 Bill No. 212, Dt. 11-8-2004	Nil, 2-8-2004	49,900
MD HP State Electronic Corporation, Shimla for purchase of 16 port 10/100 Switch, HP Deskjet 5160 Printer, UPS 2500 VA	Nil, 2-8-2004	51,425
M/S HCL Limited Parwanoo Through MD HP State Electronics Corporation Bill No. 1136000111, Dt. 14-10-2006 for purchase of HP Laser Jet Printer, Thoshiba Digital Copier, 2KVA Stablizer.	Nil, 3-10-2006	1,62,484
M/S Hari Dass Stationer Shimla, Bill nO. 15697, dt. 4-2-2005 for purchase of Lamination Machine & Photo Cutter Machine.	Nil, 7-2-2005	3,172
	Total	**₹2,66,981**

17 ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) द्वारा खरीदे गए विभिन्न सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण की ओर से सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की निधि

से जितनी भी स्थाई एवं अन्य कीमती सामग्री की खरीद की गई है, उन सबकी सम्पति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर प्रविष्टियाँ की जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न किया जाना

अंकेक्षण अवधि 4/2004 से 3/2015 तक के दौरान ई–गवर्नेंस निधि (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया था, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेंस निधि (केन्द्रीय ईकाई) से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की समस्त मदों का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 निष्कर्ष :– निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)48/2015–खण्ड–1–5999–6003,दिनांकः12.10.15 शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव ई–गवर्नेंस सोसायटी (केंन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. उपायुक्त–एवं–अध्यक्ष ई–गवर्नेंस सोसायटी किन्नौर, (रिकांगपिओ) हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004
4. विशेष सचिव, (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. अनुभाग अधिकारी श्री अनिल शर्मा, द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009